कार्यालय अध्यक्ष, महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द/उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर

पत्रांक 03 /सीकरी मेला/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023

महामाया देवी सीकरी मेला–2023 की ठेका नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक सीकरी खुर्द में महामाया देवी मेला–2023 आयोजित होना है, जिसके निम्न प्रकार ठेके दिनांक 10 मार्च, 2023 को दोपहर 02 बजे तहसील सभागार मोदीनगर में समिति पदाधिकारियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा छोडे जायेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार नीलामी से पूर्व पृथक–पृथक धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में **महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द** के नाम बंधक कराकर बोली प्रारम्भ होने के एक दिवस पूर्व कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर में अन्य प्रपत्रों सहित जमा करनी होगी।

नोटः– अश्व प्रजाति के पशुओं में "गलैन्डर्स" बीमारी की सम्भावना को देखते हुए पशु मेला नहीं लगाया जायेगा।

क्र0सं0	ठेका विवरण	धरोहर धनराशि	ठेका की अवधि
1.	ठेका मन्दिर चढावा	रू0 10 लाख	चैत्र मेला 2023 प्रारम्भ के पूर्व सप्ताह से वर्ष 2024 के मेला प्रारम्भ के पूर्व सप्ताह तक।
2.	ठेका तहबाजारी	रू0 05 लाख	चैत्र मेला 2023 की अवधि में।
3.	ठेका मेला पार्किंग	रू0 25 हजार	चैत्र मेला 2023 की अवधि में।
4.	ठेका विद्युत सजावट व आपूर्ति	रू0 05 हजार	चैत्र व शरदीय नवरात्रि 2023 की अवधि में 09–09 दिवस हेतु

उपरोक्त ठेकों के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर उपलब्ध है एवं किसी भी कार्यदिवस में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के स्टोर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। समस्त नियम व शर्ते बोली से एक दिवस पूर्व पूर्ण करनी अनिवार्य हैं।

सचिव/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी (प्र0), गाजियाबाद।
5. सचिव/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मोदीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. खण्ड विकास अधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समिति सदस्यगण, मोदीनगर।
8. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, मोदीनगर एवं दैनिक हिन्ट, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सार्वजिनक सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।

कार्यालय अध्यक्ष, महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द/उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर

महामाया देवी मन्दिर सीकरी खुर्द के चैत्र मेला–2023 के एक सप्ताह पूर्व से चैत्र मेला–2024 में मेला आरम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक के लिए छोडे जाने वाले मन्दिर चढावा ठेका की अनिवार्य अर्हतायें, नियम एवं शर्तें:–

ठेका मन्दिर चढावा:–

1. बोलीदाता को जमानत के रूप में रू0 **10,00,000–00** एफ0डी0आर0/बैंक जमा/नकद रूप में जमा करने होंगे। तब ही व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी होगा।
2. उच्चतम बोलीदाता को ठेका छूटने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का 1/4 (एक चौथाई) अंश अर्थात 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि सहित) इंडियन बैंक, मोदीनगर में खुले समिति के खाते में जमा करनी होगी अन्यथा उच्चतम बोलीदाता की जमानत जब्त कर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
3. बोलीदाता को 100 रू0 के ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा अचल सम्पत्ति अपने नाम से रखने वाले व्यक्ति की जमानत 100 रू0 के ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र सहित (प्रपत्र संलग्न कर) देनी होगी। ताकि बोली की धनराशि प्राप्त न होने की दशा में अवशेष धनराशि की वसूली की जा सके।
4. उच्चतम बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धनराशि नवरात्रि की छठी तिथि को मेला समिति के इंडियन बैंक, बस स्टैण्ड, मोदीनगर में खुले खाते में जमा करनी होगी, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही अमल में लाने के लिए बाध्य होना पडेगा।
5. अन्य असफल बोलीदाताओं की जमानत बाद में वापिस कर दी जायेगी।
6. देवी मन्दिर के बाहर चारो ओर व बाजार मे साफ–सफाई एवं सैनेटाईजेशन की व्यवस्थायें कराना आवश्यक होगा।
7. मन्दिर परिसर के बाहर शौचालय एवं वाचनालय आदि की सफाई व्यवस्था का दायित्व तहबाजारी ठेकेदार का होगा।
8. ठेके की अवधि इस बोली के छूटने की तिथि से अप्रैल 2024 मे मेला आरम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक के लिए होगी।
9. कोविड–19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ठेकेदार को विशेष निर्देश हैं कि मन्दिर के बाहर बाजार में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नियमों का पालन कराना अनिवार्य होगा। यथा जगह–जगह यात्रियों के हाथ धुलवाने, बाजार को सैनेटाईज कराने, यात्रियों को सामाजिक दूरी का पालन कराना। यह भी ध्यान रखा जाये कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्र न हों। अर्थात अपने स्तर से स्वयंसेवकों की टीम के माध्यम से बनानी होगी।
10. किसी एक अथवा सभी बोली को निरस्त करने एवं स्वीकार करने का अधिकार समिति पदाधिकारियों को होगा।
11. शारदीय नवरात्रि की प्रथम से चौदस तिथि तक की तिथियों के अतिरिक्त अन्य समय में गांव के अन्दर जाने वाली रास्ते की पुलिया तक तथा तालाब के उत्तरी किनारे की ओर तक 200 मीटर की दूरी पर मन्दिर चढावा ठेकेदार को ही प्रसाद की दुकान लगाने की अनुमति होगी।
12. कोविड–19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शारदीय नवरात्रि अवधि में बाजारों में खम्बों पर ध्वनिविस्तारक बाल्टी माईक आदि लगा प्रचार करना होगा।
13. मन्दिर चढावा ठेकेदार शारदीय नवरात्रों में जनरेटर के बराबर वाला गेट खोल सकता है। मन्दिर गेट के बराबर में एक दुकान लगा सकता है।
14. शासन की योजना एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत ब्लॉक भोजपुर के ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामान की बिक्री हेतु 06 दुकानें मन्दिर गेट के सामने निःशुल्क आरक्षित करनी होंगी।
15. मेला समिति के अधिकारीगण द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

सचिव/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।

कार्यालय अध्यक्ष, महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द/उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर

महामाया देवी मन्दिर सीकरी खुर्द के चैत्र मेला–2023 के एक सप्ताह पूर्व से चैत्र मेला–2024 में मेला आरम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक के लिए छोडे जाने वाले तहबाजारी ठेका की अनिवार्य अर्हतायें, नियम एवं शर्तें:–

ठेका तहबाजारी:–

1. बोलीदाता को जमानत के रूप में रू0 **5,00,000–00** एफ0डी0आर0/बैंक जमा/नकद रूप में जमा करने होंगे। तब ही व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी होगा।
2. उच्चतम बोलीदाता को ठेका छूटने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का 1/4 (एक चौथाई) अंश अर्थात 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि सहित) इंडियन बैंक, मोदीनगर में खुले समिति के खाते में जमा करनी होगी अन्यथा उच्चतम बोलीदाता की जमानत जब्त कर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
3. बोलीदाता को 100 रू0 के ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा अचल सम्पत्ति अपने नाम से रखने वाले व्यक्ति की जमानत 100 रू0 के ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र सहित (प्रपत्र संलग्न कर) देनी होगी। ताकि बोली की धनराशि प्राप्त न होने की दशा में अवशेष धनराशि की वसूली की जा सके।
4. उच्चतम बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धनराशि नवरात्रि की छठी तिथि को मेला समिति के इंडियन बैंक, बस स्टैण्ड, मोदीनगर में खुले खाते में जमा करनी होगी, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही अमल में लाने के लिए बाध्य होना पडेगा।
5. अन्य असफल बोलीदाताओं की जमानत बाद में वापिस कर दी जायेगी।
6. देवी मन्दिर के बाहर चारो ओर व बाजार मे साफ–सफाई एवं सैनेटाईजेशन की व्यवस्थायें कराना आवश्यक होगा।
7. मन्दिर परिसर के बाहर शौचालय एवं वाचनालय आदि की सफाई व्यवस्था का दायित्व तहबाजारी ठेकेदार का होगा।
8. ठेके की अवधि इस बोली के छूटने की तिथि से अप्रैल 2024 मे मेला आरम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक के लिए होगी।
9. कोविड–19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ठेकेदार को विशेष निर्देश हैं कि मन्दिर के बाहर बाजार में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नियमों का पालन कराना अनिवार्य होगा। यथा जगह–जगह यात्रियों के हाथ धुलवाने, बाज़ार को सैनेटाईज कराने, यात्रियों को सामाजिक दूरी का पालन कराना। यह भी ध्यान रखा जाये कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्र न हों। अर्थात अपने स्तर से स्वयंसेवकों की टीम के माध्यम से बनानी होगी।
10. किसी एक अथवा सभी बोली को निरस्त करने एवं स्वीकार करने का अधिकार समिति पदाधिकारियों को होगा।
11. शारदीय नवरात्रि की प्रथम से चौदस तिथि तक की तिथियों के अतिरिक्त अन्य समय में गांव के अन्दर जाने वाली रास्ते की पुलिया तक तथा तालाब के उत्तरी किनारे की ओर तक 200 मीटर की दूरी पर मन्दिर चढावा ठेकेदार को ही प्रसाद की दुकान लगाने की अनुमति होगी।
12. कोविड–19 कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शारदीय नवरात्रि अवधि में बाजारों में खम्बों पर ध्वनिविस्तारक बाल्टी माईक आदि लगा प्रचार करना होगा।
13. मन्दिर चढावा ठेकेदार शारदीय नवरात्रों में जनरेटर के बराबर वाला गेट खोल सकता है। मन्दिर गेट के बराबर में एक दुकान लगा सकता है।
14. शासन की योजना एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत ब्लॉक भोजपुर के ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामान की बिक्री हेतु 06 दुकानें मन्दिर गेट के सामने निःशुल्क आरक्षित करनी होंगी।
15. मेला समिति के अधिकारीगण द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

सचिव/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।